प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अंतर्गत लम्बित मामले

1958. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड (कापीराइट बोर्ड) का गठन किस तारीख को किया गया था, इस बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यगण के नाम क्या-क्या हैं और उनका कार्यकाल कब तक है;

(ख) इस बोर्ड ने वर्ष 1987 से लेकर अब तक प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 19 (क) के अंतर्गत लम्बित कितने मामलों का निपटान किया है और इस संबंध में बोर्ड की बैठकें किन-किन तारीखों में हुई हैं; और

(ग) उक्त प्रकार के कितने मामले कब से अनिर्णय की स्थिति में हैं और उनके निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक निपटाए जाने की आशा है और इन लम्बित पड़े विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) भारत सरकार ने 4 जनवरी, 1996 से पांच वर्षों की अवधि के लिये कापीराइट बोर्ड का पुनगर्ठन किया है। बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:—

1.	श्री एस० रमय्या, पूर्व विधि सचिव, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, कापीराइट प्रभारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार	पदेन सदस्य
3.	विधि, न्याय और कंपनी-कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार) विधि कार्य विभाग) शिक्षा विभाग के कार्य से सम्बद्ध, भारत सरकार	पदेन सदस्य
4.	विधि सचिव, केरल सरकार	पदेन सदस्य
5.	विधि सचिव, कर्नाटक सरकार	पदेन सदस्य
6.	विधि सचिव, राजस्थान सरकार	पदेन सदस्य
7.	विधि सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार	पदेन सदस्य
8.	विधि सचिव, मेघालय सरकार	पदेन सदस्य
9.	विधि सचिव, महाराष्ट्र सरकार	पदेन सदस्य
10.	विधि सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
11.	विधि सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य

(ख) बोर्ड ने दिनांक 28-29 सितम्बर, 1987, 26-27 नवम्बर, 1987, 21-22 जनवरी, 1988, 25-26 अगस्त, 1988, 17-19 जुलाई, 1990, 17—20 सितम्बर, 1990, 22—25 अक्तूबर, 1990, 3—6 दिसम्बर, 1990, 21—23 जनवरी, 1991, 14-15 फारवरी, 1991, 14-15 मार्च, 1991, 17—19 सितम्बर, 1991, 29—31 अक्तूबर, 1991, 11—13 दिसम्बर, 1991, 25—27 अगस्त, 1992, 24—26 नवम्बर, 1992, 28—30 जून, 1993, 25—27 अगस्त, 1993, 16-17 नवम्बर, 1993, 28—30 दिसम्बर, 1993, 25—27 मार्च 1996 और 12—24 जून, 1996 को आयोजित की गई अपनी बैठकों में 24 मामलों से 9 मामलों का निपटारा कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19-क के अंतर्गत किया।

(ग) कापीराइट बोर्ड ने कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19-क के अंतर्गत जिन 15 मामलों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

क्रम सं०	मामला संख्या	कब से लंबित पड़ा है
1.	60/85	अगस्त, 85
2.	7/87	दिसम्बर, 87
3.	4/88	मई, 88
4.	18/91	सितम्बर, 91
5.	3/92	अक्तूबर, 91
6.	13/92	अगस्त, 92
7.	9/93	अप्रैल, 93
8.	5/94	फरवरी, 94
9.	6/94	फरवरी, 94
10.	7/94	मार्च, 94

क्रम सं॰	मामला संख्या	कब से लंबित पड़ा है
11.	17/94	अक्तूबर, 94
12.	16/95	अगस्त, 95
13.	22/95	नवम्बर, 95
14.	2/96	मई, 96
15.	4/96	जून, 96

मामलों का निपटान अन्य बातों के साथ-साथ कापीराइट बोर्ड के पुर्नगठन में विलम्ब, पार्टियों द्वारा स्थगन प्राप्त करना, अधूरी पैरवी जैसी कुछ बातों से प्रभावित हुआ तथापि कापीराइट बोर्ड की अपनी अगली बैठकों में सुनवाई के लिये मामलों को सूचीबद्ध करने के लिये कदम उठाए गये हैं।

Scheme for labelling of Environment-friendly Products

1959. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any scheme for labelling of Environment-friendly products in Operation;

(b) if so, the names of the products which have been awarded 'Ecomark' so far; and

(c) the names of the products proposed to be included under this scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir. The Government launched a scheme in 1991 for labelling products which are environment friendly. The label is known so 'Eco Mark'. The objetive was to encourage production and consumption of products which met stipulated environmental criteria along with quality requirements of the Bureau of Indian Standards.

(b) One product names "Eco-Ezee" under the detergent category has been granted licence to use "Eco Mark" so far.

(c) Under the "Eco Mark" scheme, the Government have so far evolved and notified final criteria in the Gazette of India for the following categories of products:

(1) Toilet Soaps
(2) Detergents
(3) Paper
(4) Architectural Paints
(5) Laundry Soaps
(6) Food Items part-I (edible oils, tea and Coffee)
(7) Food Item Part II (beverages, infant food, processed food; and vegetable products)
(8) Lubricating Oils
(9) Packaging Part-I (paper boards and plastic excluding laminates)
(10) Packaging Part-II (laminates and products thereof)
(11) Automotive Lead Acid Batteries
(12) Electric and Electronic Goods
(13) Food Additives
(14) Wood Substitutes
(15) Dry Cell Batteries
(16) Cosmetics
(17) Aerosol propellants
(18) Plastic Products

Criteria for Textile and Pesticides are being finalised for notification in the Gazette of India.

Setting up of Farmers Field Schools

1960. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set-up Farmers Field Schools in various parts of the country for imparting integrated pest management training to farmers;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how many such schools have been set-up in the State of Madhya Pradesh with district-wise details; and

(d) what other steps ared being taken by Government in the area of integrated pest management in Madhya Pradesh?